

જુલાઈ

ન્યાયાલય રિવિલ જાજ(જૂબિઓ) / ન્યાગિક ગજિએસ્ટ્રેટ, કોર્ટ સાં 7, લખીગપુર-ખીરી।
ચપરિષદ્તા:- સૂર્યા ચૌહાન હાઇપ્રો ન્યાગિક રોવા।

મુખ્યો-1100/2018

શ્રીમતી શાકિયા ઉમ લગભગ 30 વર્ષ પણી જુબરાઇલ ઉર્ફ બુદ્ધા પુત્રી અહુમદ અલી નિવારી ગામ
સરૈયાકલા મજાર ગિરજાપુર થાના ઝેરાનગર હાલપત્તા ગામ ઊંચાળત થાના ઝેરાનગર જિલ્લા ખીરી।
.....અગિયોગિની।

બનાગ

- 1-જુબરાઇલ ઉર્ફ બુદ્ધા ઉમ લગભગ 35 વર્ષ પુત્ર ગોહર્એં અલી- પતિ |
- 2-શ્રીમતી ઝરલામન ઉમ લગભગ 55 વર્ષ પણી ગોહર્એં અલી-સારા |
- 3-સુબરાતી ઉમ લગભગ 40 વર્ષ પુત્ર ફાજિલ-ચચિયા રાસુર |

.....અભિયુક્તગણ।

ધારા-498એ.323,504,506, ભાંડોરાં

ય 3/4 ડીંપીઠ એવટ

થાના-ઝેરાનગર, જિલ્લા-લખીગપુર-ખીરી।

-નિર્ણય:-

અભિયુક્તગણ જુબરાઇલ ઉર્ફ બુદ્ધા, શ્રીમતી ઝરલામન ય સુબરાતી કા વિચારણ અન્તાર્ગત
ધારા-498એ.323,504,506, ભાંડોરાં ય 3/4 ડીંપીઠ એવટ કે અન્તાર્ગત પરિયાદિની દ્વારા પ્રરત્યત કિયે
ગયે પરિયાદ પત્ર પર ન્યાયાલય દ્વારા પારિત રાલબી આદેશ દિનાંકિત 01-02-2019 કે આધાર પર
કિયા ગયા છે।

રાંક્ષેપ મેં પરિયાદ કથાનક ઇસ પ્રકાર હૈ કે યાદિની નિકાહ અરસા લગભગ 15 વર્ષ
પૂર્વ વિપક્ષી સં01 જુબરાઇલ ઉર્ફ બુદ્ધા કે સાથ મુસ્લિમ રીતિ-રિવાજ કી પરમ્પરા કે અનુસાર હુંથા થા।
કુછ દિન તક ઠીક ઠાક ચલને કે યાદ વિપક્ષી રં01 જુબરાઇલ ઉર્ફ બુદ્ધા ય ઝરલામન ય સુબરાતી ને
અભિયોગિની સે કહા કી અપને માયકે રો 50,000/- રૂઠ દુકાન છેતુ અતિરિક્ત દહેજ મેં દિલયાઓં
તમ્મી ઉસકી ઇસ ઘર મેં ગુજર બરાર હોગી। અભિયોગિની ને ઉક્ત દહેજ યાલી બાત અપની માં ય ભાઈ
સે બતાયા તો અભિયોગિની કી માં ને વિપક્ષીગણ કી કાફી ખુશામદ બરામદ કરતે હુયે અતિરિક્ત દહેજ
મેં 50,000/- રૂઠ દેને મેં અસર્મર્થતા વ્યક્ત કિયા તથ વિપક્ષીગણ અભિયોગિની કો ખાને કપડે કી
તકલીફે દેકર પ્રતાંકિત કરને લગે અભિયોગિની યા સમજાકર બર્દાશ્ત કરતી રહી કી શાયદ ભવિષ્ય
મેં યા સબ ઠીક હો જાયે। દિનાંક 25-05-2018 કો રામય લગભગ 08:00 બજે સુબહ વિપક્ષી
જુબરાઇલ ઉર્ફ બુદ્ધા ય ઝરલામન ય સુબરાતી ને અભિયોગિની કો લાત મુક્કોં સે મારાપીટા ય સામરત
સ્ત્રીધન છીનકર નંગી બુઢ્યી કરકે વાલ પકડકર ઘર સે ઘરીટકર નિકાલ દિયા ઔર કહા ભાગ જા
સાલી બાંઝ અપને ઘર કો દોબારા આયી તો જાન સે માર દેંગે। અભિયોગિની કિર્સી તરફ ગાંય મેં હી
અપની બહન કે યાં જાકર માયકે ફોન કરવાયા તો અભિયોગિની કી માં ય ભાઈ મૌકે પર ગયે ઔર
અભિયુક્તગણ કી કાફી ખુશામદ બરામદ કિયા લેકિન યા અભિયોગિની કો રખને કો તૈયાર નહી હુયે
હું। ③

परिवादिनी श्रीमती शाकिया द्वारा प्रस्तुत परिवाद में किये गये कथनों एवं साक्षीगण के बयानों के आधार पर विपक्षीगण जुबराइल उर्फ बुद्धा, श्रीमती इस्लामन व सुबराती को न्यायालय आदेश दिनांकित 01-02-2019 से धारा-498ए.323,504,506 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट मे विचारण हेतु तलब किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये और जमानत करायी। पत्रावली पर परिवादिनी/पी०डब्लू०१ शाकिया का साक्ष्य अन्तर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० अंकित किये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण जुबराइल उर्फ बुद्धा, श्रीमती इस्लामन व सुबराती के विरुद्ध दि० 14-07-2023 को धारा-498ए.323,504,506 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण किये जाने की मांग की गयी।

परिवादिनी शाकिया की ओर से अपने परिवाद कथानक के समर्थन में पी०डब्लू०-१ के रूप में स्वयं को साक्ष्य अन्तर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० में परीक्षित कराया गया है तथा बचाव पक्ष की ओर से जिरह अन्तर्गत धारा-246 दं०प्र०सं० की गयी।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० संहिता अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और गवाहों द्वारा गलत बयान दिया जाना व मुकदमा रंजिशन चलने का कथन करते हुये सफाई साक्ष्य दिये जाने से इनकार किया गया है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 25-05-2018 को बहद स्थान ग्राम सरैयाकला थाना ईसानगर जिला खीरी में अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा शाकिया को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा गन्दी-गन्ती गालियां देकर मारापीटा तथा उसे जान से मारने की धमकी दी?

परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से द्वारा तर्क किया गया कि पत्रावली पर दाखिल साक्ष्य से परिवाद कथानक की सम्पुष्टि होती है तथा अधिरोपित अपराध संदेह से परे सिद्ध होता है। अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि परिवादिनी के बयान से परिवाद कथानक की सम्पुष्टि नहीं होती है और परिवादिनी अपने साक्ष्य के माध्यम से अपराध संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रही है। कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादिनी के बयान परिवाद पत्र के कथन व अन्य साक्षियों के बयानों में गंभीर विरोधाभास मौजूद है। जिस प्रकार परिवादिनी के द्वारा घटना होना बताया गया है, उस प्रकार घटनाक्रम असंभव है। मामले में अभियुक्तगण को रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

साक्षी पी०डब्लू०-१ परिवादिनी शाकिया ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा-244 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि मेरा निकाह आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व विपक्षी जुबराइल के साथ हुआ था मेरी व विपक्षी से कुछ अनवन होने के कारण आज से लगभग साढ़े पांच वर्ष पूर्व समय लगभग 08:00 बजे सुबह विपक्षी जुबराइल ने मुझे बुरा भला कहकर व सारा स्त्रीधन छीनकर घसीटकर घर से निकाल दिया था तब से मैं अपने मायके में रह रही हूं विपक्षी जुबराइल ने ③

मेरी कोई खोज खबर नहीं लिया। जब मेरी कहीं कोई सुनवायी नहीं हुयी तब मैंने यह मुकदमा दायर किया है।

इस साक्षी पी०डब्लू०१ से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह अन्तर्गत धारा-246 दं०प्र०सं० की गयी अपनी जिरह में साक्षी पी०डब्लू०१ द्वारा कथन किया गया है कि यह परिवाद मैंने दायर किया था, जिसमें मैंने अपने पति का नाम जुबराइल उर्फ बुद्धा लिखाया था, जो गलत लिख गया था। मेरे पति का नाम इसराइल उर्फ बुद्धा है। मेरी शादी इसराइल उर्फ बुद्धा से करीब 20 वर्ष पूर्व हुयी थी। मेरे व मेरे पति से कोई बच्चे नहीं हैं, शादी के बाद मेरा व मेरे पति के बीच आपसी मनमुटाव हो गया था, इसलिए मैं अपने मायके चली आयी थी, मेरे पति इसराइल उर्फ बुद्धा/जुबराइल उर्फ बुद्धा ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी और न ही मुझे अभियुक्तगण ने गाली—गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने अपने मायके वालों के कहने पर अपने पति जुबराइल उर्फ बुद्धा /इसराइल उर्फ बुद्धा व अपनी सास इस्लामन उर्फ फातिमा व सुबराती के विरुद्ध मैंने यह परिवाद न्यायालय में दायर किया था मेरे साथ अभियुक्तगण ने कभी कोई गाली—गलौज व मारपीट व जान से मारने की धमकी नहीं दी और न ही मुझे प्रताड़ित किया और न ही अभियुक्तगणों ने मेरा स्त्रीधन छीनकर अपने पास रखा और न ही मुझे अपने घर से निकाला मैं अपनी स्वेच्छा से अपने मायके में रह रही हूं। मेरे द्वारा परिवाद में दिखायी गयी घटना गलत है।

इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा अन्य कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू०१ वादिनी मुकदमा शाकिया द्वारा अपने साक्ष्य धारा-244 दं०प्र०सं० में तो परिवाद कथानक का समर्थन किया है, परन्तु अपनी जिरह अन्तर्गत धारा-246 दं०प्र०सं० में साक्षी पी०डब्लू०१ ने स्वयं ही कथन किया है कि मेरे साथ अभियुक्तगण ने कभी कोई गाली—गलौज व मारपीट व जान से मारने की धमकी नहीं दी और न ही मुझे प्रताड़ित किया और न ही अभियुक्तगणों ने मेरा स्त्रीधन छीनकर अपने पास रखा और न ही मुझे अपने घर से निकाला मैं अपनी स्वेच्छा से अपने मायके में रह रही हूं। मेरे द्वारा परिवाद में दिखायी गयी घटना गलत है।“

इस प्रकार प्रस्तुत मामले में स्वयं वादिनी मुकदमा द्वारा अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा परिवादपत्र में उल्लिखित घटना कारित किये जाने इनकार किया है, जिससे विदित है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा शाकिया के साथ कोई घटना कारित नहीं की गयी है। इस प्रकार वादिनी मुकदमा के स्वयं के कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप सन्देह से परे साबित नहीं होते हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से परिवाद कथानक की पुष्टि नहीं होती है। परिवादिनी परिवाद कथानक के तथ्य को सन्देह से परे सिद्ध करने में असफल रही है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी द्वारा अन्य कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से न्यायालय इस मत पर पहुंची है कि परिवादिनी अपने परिवाद को सन्देह से परे युक्ति—युक्ति संदेह से परे साबित करने में असफल रही है। अतः अभियुक्तगण जुबराइल उर्फ बुद्धा /इसराइल उर्फ बुद्धा, इस्लामन उर्फ फातिमा व सुबराती

आदेश

अभियुक्तगण जुबराइल उर्फ बुद्धा / इसराइल उर्फ बुद्धा, इस्लामन उर्फ फातिमा व सुबराती को अन्तर्गत धारा-498ए.323,504,506 भा०द०सं० व ३/४ डी०पी० एकट के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए०, दंप्र०संहिता के अन्तर्गत दो प्रतिभू एवं स्वबंधपत्र मु० 20,000/-रु० प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके द्वारा दौरान वाद प्रस्तुत किये गये पूर्व व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा पूर्व जामिनान को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र अन्तर्गत धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अगले छः माह तक प्रवृत्त रहेंगे तथा उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत उपरोक्त बन्धपत्र एवं जमानतनामें अगले छः माह की अवधि तक इस आशय से सुरक्षित रखें जायें कि यदि माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में तलब किया जाता है तो वह माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे तथा जमानतीगण भी उक्त अवधि में अभियुक्त को माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने हेतु बाध्य होंगे तथा इस दौरान उच्चतर न्यायालय में अपीलीय न होने की स्थिति में उपरोक्त बन्धपत्र एवं जमानतनामें स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

दिनांक-26-07-2023

(सूर्या चौहान),
अपर सिविल जज (जू०डिं०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं०७, लखीमपुर-खीरी।
J.O. Code-UP3420

आज यह निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-26-07-2023

(सूर्या चौहान),
अपर सिविल जज (जू०डिं०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं०७, लखीमपुर-खीरी।
J.O. Code-UP3420

Sw
Seen
रिक्त अ
(प्रमाणित)
जुबराइल इस्माइल अम्बुदा
1/1/23